आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 (1.) उमेश ठाकुर एवं (2.) संतोष कुमार दोनों के पिता स्व0 लक्ष्मी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-I, थाना नं0-144, खाता संख्या-18 प्लॉट संख्या-35, रकवा-0.06 (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि मीना देवी पति श्रीराम प्रसाद, निवास स्थान सुरेश कॉलोनी, गिरजा नगर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22024052 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-476/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2538/रा0 दिनांक 08.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3050 दिनांक 29.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयती झमन हजाम वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.42 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.2334 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-38/I पर बुलाकी हजाम वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2008-09 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा वगै0 जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.1734 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 तक निर्गत् ऑनलाईन लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) उमेश ठाकुर एवं (2.) संतोष कुमार दोनों के पिता स्व0 लक्ष्मी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-खिरगाँव, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-I, थाना नं0-144, खाता संख्या-18 प्लॉट संख्या-35, रकवा-0.06 (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि मीना देवी पति श्रीराम प्रसाद, निवास स्थान सुरेश कॉलोनी, गिरजा नगर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.25 16:03:00 +05:30
Location: 192.168.0.115